

R.R. No

468

28.10.09

जिला स्थापना शाखा

राजस्व पर्षद, बिहार।

संख्या - 4/24-63/96- 31 (4) 20/10/09

प्रेषक,

विमलानंद झा,

सचिव,

केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।

सचिव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

जिलाधिकारी एवं सहायक

19 OCT 2009

सा.स.प., छपरा

पटना, दिनांक: 14/10/2009

विषय :

केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, द्वारा आयोजित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा, सचिवालय सहायकों की विभागीय परीक्षा/ मुफस्सिल लिपिकों की लेआ परीक्षा आदि के संचालन हेतु विभिन्न कार्यों के लिए पारिश्रमिक मानदेय की दरों में वृद्धि।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि राजस्व पर्षद तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार द्वारा आयोजित होने वाली उपर्युक्त परीक्षाओं के संचालन में विभिन्न स्तर के सरकारी सेवकों से ली जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए पूर्व निर्धारित दरों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। विचारोपरान्त केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार की अनुशंसा एवं वित्त विभाग की सहमति से पारिश्रमिक तथा मानदेय की दरों में विभिन्न प्रकार वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है:-

| क्रमांक | व्यय का मद  | पूर्व स्वीकृत दर     | वर्तमान स्वीकृत दर                        |
|---------|---|----------------------|---|
| 1       | केन्द्राधीक्षक  | 200/- रु. प्रतिदिन   | 350/- रु. प्रतिदिन                        |
| 2       | सहायक केन्द्राधीक्षक                                      | 160/- रु. प्रतिदिन   | 300/- रु. प्रतिदिन                        |
| 3       | राजपत्रित वीक्षक  | 100/- रु. प्रतिदिन   | 250/- रु. प्रतिदिन                        |
| 4       | अराजपत्रित वीक्षक   | 75/- रु. प्रतिदिन    | 200/- रु. प्रतिदिन                        |
| 5       | प्रश्न रचयकता   | 500/- रु. प्रति सेट  | 1000/- रु. प्रति सेट                      |
| 6       | उत्तर पू. का मूल्यांकन                                    | 10/- प्रति उत्तर पू. | 20/- प्रति उत्तर पू.                      |
| 7       | मूल्यांकन हेतु कम से कम राशि                              | 100/- रु. समेकित     | 200/- रु. समेकित                          |
| 8       | हिन्दी मौखिक बोर्ड/ निबंधन<br>मौखिक बोर्ड/ अध्यक्ष/ सदस्य | 10/- प्रति उम्मीदवार | 15/- रु. प्रति उम्मीदवार<br>प्रति परीक्षक |

|    |   |                   |                    |
|----|---|-------------------|--------------------|
| 9  | चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी/ पानी संचालक/ झाड़ू कश आदि | 40/- रु. प्रतिदिन | 100/- रु. प्रतिदिन |
| 10 | दण्डाधिकारी अल्पाहार                              | 50/-              | पूर्ववत 50/- रु.   |
| 11 | आरक्षी पदाव, अल्पाहार                             | 50/-              | पूर्ववत 50/- रु.   |
| 12 | आरक्षी शिपाही अल्पाहार                            | 25/-              | पूर्ववत 25/- रु.   |

अराजपत्रित परीक्षा हेतु

| क्रमांक | पद का नम               | पूर्व स्वीकृत दर    | वर्तमान स्वीकृत    |
|---------|------------------------|---------------------|--------------------|
| क       | प्रश्न सयनकर्ता        | 500/- रु. प्रति सेट | 1000/- रु. प्रति   |
| ख       | अराजपत्रित बीक्षक      | 100/- रु. प्रतिदिन  | 250/- रु. प्रतिदिन |
| ग       | अराजपत्रित बीक्षक      | 75/- रु. प्रतिदिन   | 200/- रु. प्रतिदिन |
| ध       | चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी | 40/- रु. प्रतिदिन   | 100/- रु. प्रतिदिन |

2. पूर्व के आदेश सं०- 55-अ) दि. 2.06.2005 को इस हद तक संशोधित जाय।
3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

(विमलानंद झा)

सचिव,

राजस्व पर्यद, बिहार, पटना, दिनांक:- 19

ज्ञापक:- 4/24-63/96- 831 (4)

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार के आदेश

(विमलानंद झा)

सचिव,

राजस्व पर्यद, बिहार, पटना। पटना, दिनांक:- 19

ज्ञापक:- 4/24-63/96- 831 (4)

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी बिहार के सूचनाथ अग्रसारित।

(विमलानंद झा)

सचिव,

राजस्व पर्यद, बिहार, पटना।